

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

कारपोरेट आई०डी नं०: U40101UR2004GOI028675

विद्युत भवन, नजदीक-आई०एस०बी०टी० क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून-248002

दूरभाष नं० 0135-2646000 फैक्स नं० 0135-2643460, वेबसाइट: www.ptcul.org

सार्वजनिक सूचना

वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु प्रस्तावित पारेषण शुल्क की स्वीकृति हेतु पिटकुल की याचिका पर विचार आमंत्रित किये जाते हैं

पिटकुल की वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ए०आर०आर०)/टैरिफ याचिका के मुख्य बिन्दु -

- पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि० (पिटकुल), उत्तराखण्ड राज्य की पारेषण कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अंकेक्षित खातों के आधार पर राजस्व सत्यापन (ड्रॉइंग-अप) एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 के वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये पुनरीक्षित वार्षिक राजस्व आवश्यकता हेतु उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (आयोग) के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत की है। अन्तः राज्य पारेषण तंत्र के लिए प्रस्तावित वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ए०आर०आर०) का सारांश निम्नलिखित सारणी में दिया गया है:-


पिटकुल के अन्तः राज्य नेटवर्क के लिए प्रस्तावित वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा (ए०पी०आर०) एवं वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ए०आर०आर०) का सारांश (रु० करोड़ में)

क्रम सं०	मद	यू०ई०आर०सी० टैरिफ विनियमन, 2015		यू०ई०आर०सी० टैरिफ विनियमन, 2018			
		वित्तीय वर्ष 2018-19 राजस्व सत्यापन (ड्रॉ-अप)		वित्तीय वर्ष 2019-20 वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा (ए०पी०आर०)		वित्तीय वर्ष 2020-21 वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ए०आर०आर०)	
		वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक निष्पादन समीक्षा आदेश में अनुमोदित	राजस्व सत्यापन के लिए मांग	वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बहु वार्षिक टैरिफ आदेश में अनुमोदित	पुनरीक्षित आंकलन	वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बहु वार्षिक टैरिफ आदेश में अनुमोदित	प्रस्तावित
1.	अवक्षयण	71.15	69.44	78.90	81.39	92.86	99.47
2.	दीर्घकालीन ब्याज प्रभार	53.48	53.64	63.31	62.25	74.65	79.59
3.	इक्विटी पर प्रत्यागम	20.15	44.58	31.08	55.39	48.82	71.79
4.	संचालन एवं अनुरक्षण खर्च	146.14	134.82	160.66	157.64	195.81	196.20
5.	कार्यशील पूंजी पर ब्याज	9.07	5.79	11.00	11.25	15.46	15.45
6.	आयकर	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	सकल व्यय	299.99	323.22	344.95	367.93	427.61	462.50
8.	घटाया : नॉन टैरिफ आय	4.41	10.28	10.00	10.00	10.00	10.00
9.	शुद्ध व्यय	295.58	312.94	334.95	357.93	417.61	452.50
10.	जोडा: पिछले वर्षों का राजस्व सत्यापन (ड्रॉ-अप) कालजन्म लागत के साथ घटाया : उच्च उपलब्धता के कारण प्रोत्साहन को साझा करना	(83.43)	(83.43)	(32.04)	(32.04)	0.00	(21.84)
11.	घटाया : अल्प अवधि के लिए ओपन एक्सेस से राजस्व	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	घटाया: नेचुरल आई०एस०बी०टी०एस० लाईनों से राजस्व	2.84	2.73	1.65	3.71	1.73	4.07
13.	घटाया : प्रा०भार०नि०केन्द्र के लिये वार्षिक राजस्व आवश्यकता	0.00	34.89	34.89	34.89	0.00	0.00
14.	शुद्ध वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ए०आर०आर०)	16.84	0.00	11.35	15.09	15.44	24.57
15.	राजस्व (अतिरिक्त)/अन्तर	192.46	191.32	255.01	272.20	400.43	402.01
16.	प्रारम्भिक अंशपूजी पर लाभांश के लिए प्रावधान	-	(17.98)	-	-	-	-
17.	पीडीएफ के माध्यम से उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अंशपूजी योगदान पर लाभांश के लिए प्रावधान	-	-	-	-	-	166.29
18.		-	-	-	-	-	313.14

2. पिटकुल द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए (जिसमें वित्तीय वर्ष 2018-19 के वार्षिक राजस्व सत्यापन (ट्रुअंग-अप) के प्रभाव के साथ-साथ रख-रखाव लागत सहित) वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये अनुमोदित पारिषण शुल्क पर 57.65% वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा, पिटकुल ने प्रारम्भिक अंशपूजी पर लामांश तथा पीडीएफ के माध्यम से उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अंशपूजी योगदान पर लामांश के कारण रू0 479.43 करोड का दावा किया है तथा इस दावे पर विचार करते हुए, कुल वृद्धि 246% है। यदि, पिटकुल के प्रारम्भिक अंशपूजी पर लामांश तथा पीडीएफ के माध्यम से अंशपूजी योगदान पर लामांश सहित सम्पूर्ण दावे को भी माननीय आयोग द्वारा स्वीकार किया जाता है तो यू0पी0सी0एल0 द्वारा प्रस्तावित वृद्धि के ऊपर उपभोक्ता टैरिफ में 6.8% की अतिरिक्त वृद्धि की आवश्यकता होगी।
3. पूर्ण याचिका किसी भी कार्य दिवस में आयोग के कार्यालय अथवा कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड, "विद्युत भवन", सहारनपुर रोड, माजरा, नजदीक आई0एस0बी0टी0, देहरादून-248002, उत्तराखण्ड पर बिना किसी खर्च के देखी जा सकती है। याचिका के सम्बन्धित प्रपत्र याचिकाकर्ता के उपर्युक्त वर्णित कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।
4. उक्त याचिका आयोग की वेबसाईट (www.uerc.gov.in) एवं याचिकाकर्ता की वेबसाईट (www.ptcul.org) पर भी उपलब्ध है।
5. उक्त प्रस्तावों पर उपभोक्ताओं एवं अन्य हित धारकों की प्रतिक्रिया/सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं। इन प्रतिक्रियाओं/सुझावों को व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा सचिव उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, विद्युत नियामक भवन आई0एस0बी0टी0 के पास पो0ओ0-माजरा देहरादून-248171 में अथवा ई-मेल द्वारा secy.uerc@gov.in प्रतिक्रियाओं/टिप्पणियों की विवरण सम्बन्धित दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र सहित दिनांक 31.01.2020 तक भेजे जा सकते हैं।

प्रबन्ध निदेशक

"राष्ट्र हित में बिजली बजायें"



Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.

(A Govt. of Uttarakhand Undertaking)

Corporate ID No. U40101UR2004GOI028675

"Vidyut Bhawan", Near-ISBT Crossing, Saharanpur Road, Majra, Near ISBT,
Dehradun-248002, Uttarakhand,

Phone No. 0135-2642006, Fax No. 0135-264360, Website www.ptcul.org

Public Notice

Inviting Comments on the Petition filed by PTCUL for approval of the proposed Transmission Charges for FY 2020-21

Salient Points of the ARR/Tariff Petition

1. Power Transmission Corporation of Uttarakhand Limited (PTCUL), a Transmission licensee in the State of Uttarakhand has filed a Petition before the Commission for approval of truing up of FY 2018-19 based on audited Accounts & Annual Performance Review for FY 2019-20 and the Revised ARR for FY 2020-21. The summary of proposals of the intra-State network for the aforesaid is given in the following Table:

Summary of APR & ARR of PTCUL for intra-State transmission network (Rs. in Cr.)

Sl. No.	Particulars	UERC Tariff Regulations, 2015		UERC Tariff Regulations, 2018			
		FY 2018-19 (True-up)		FY 2019-20 (APR)		FY 2020-21 (ARR)	
		Approved in Tariff Order for FY 2018-19	Claimed for true up	Approved in MYT Order for FY 2019-20	Revised Estimates	Approved in MYT Order for FY 2020-21	Proposed
1.	Depreciation	71.15	69.44	78.90	81.39	92.86	99.47
2.	Interest on Loan Term Loans	53.48	53.64	63.31	62.25	74.65	79.59
3.	Return on Equity	20.15	44.58	31.08	55.39	48.82	71.79
4.	O&M expenses	146.14	134.82	160.66	157.64	195.81	196.20
5.	Interest on Working Capital	9.07	5.79	11.00	11.25	15.46	15.45
6.	Income Tax	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Gross Expenditure	299.99	323.22	344.95	367.93	427.61	462.50
8.	Less: Non-tariff Income	4.41	10.28	10.00	10.00	10.00	10.00
9.	Net Expenditure	295.58	312.94	334.95	357.93	417.61	452.50
10.	Add: True up of previous years including carrying cost	(83.43)	(83.43)	(32.04)	(32.04)	0.00	(21.84)
11.	Less: Sharing of Incentive due to higher availability	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Less: Revenue from short term open access	2.84	2.73	1.65	3.71	1.73	4.07
13.	Less: Revenue from Natural ISTS	0.00	34.89	34.89	34.89	0.00	0.00
14.	Less: ARR for SLDC	16.84	0.00	11.35	15.09	15.44	24.57
15.	Net ARR	192.46	191.32	255.01	272.20	400.43	402.01
16.	Revenue (Surplus)/ Gap	-	(17.98)	-	-	-	-
17.	Provision for RoE on initial equity	-	-	-	-	-	166.29
18.	Provision for RoE on equity contribution by GOU through PDF	-	-	-	-	-	313.14

2. PTCUL has proposed a total hike of 57.65% for FY 2020-21 (which includes the truing up impact of FY 2018-19 along with carrying cost on the same) over the approved transmission charges for FY 2019-20. In addition, PTCUL has also claimed Rs. 479.43 Crore on account of Return on Equity on the initial equity and the equity contributed by Government of Uttarakhand through PDF and considering this claim, the

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

total hike works out to 246%. In case, the entire claim of PTCUL including that of RoE on initial equity and the equity contributed thorough PDF is also accepted by the Commission, additional hike of 6.8% in consumer tariff shall be required over and above the hike proposed by UPCL.

3. Detailed proposals can be seen free of cost on any working day at the Commission's office or at the office of Managing Director, Power Transmission Corporation of Uttarakhand Limited, "Vidyut Bhawn", Saharanpur Road, Majra, Near ISBT, Dehradun-248002, Uttarakhand. Relevant extracts can also be obtained from the above mentioned offices of the Petitioner.
4. The proposals are also available at the website of the Commission (www.uerc.gov.in) and at PTCUL's website (www.ptcul.org).
5. Objections/suggestions are invited from the consumers and other stakeholders on the above proposals. These may be sent to the Secretary, Uttarakhand Electricity Regulatory Commission, either in person, or by post at Vidyut Niyamak Bhawan, Near I.S.B.T., P.O.-Majra, Dehradun - 248171 or through e-mail to secy.uerc@gov.in as a statement of objections or comments with copies of the documents and evidence in support thereof so as to reach the Secretary by 31.01.2020.

Managing Director

"Save Electricity in the Interest of Nation"

